www.abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052020-219305
CG-DL-E-06052020-219305

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2020/वैशाख 16, 1942
No. 215]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2020/VAISAKHA 16, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 282(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 44छ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"44छ धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किसी करार के निबंधनों को प्रभावी करने के लिए आवेदन और करार के विनिश्चय को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया-(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारत का निवासी है, भारत से बाहर किसी

www.abcaus.in

देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारियों की किसी कार्रवाई से इस कारण से व्यथित है कि ऐसी कार्रवाई जो उसके अनुसार ऐसे अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के करार के निबंधनों के अनुसार नहीं है वहां वह भारत में सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप सं.34च में पारस्परिक करार प्रक्रिया को विखंडित करने के लिए, यदि ऐसे करार में उपबंधित है, आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ हुए किसी करार के अधीन भारत में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त हुआ है वहां भारत में का सक्षम प्राधिकारी, अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निर्देश पर ली गई स्वीकृति या इससे अन्यथा के बारे में संसूचित करेगा ।

(3) भारत में का सक्षम प्राधिकारी, भारत में के या बाहर के आय-कर प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी कार्रवाईयों को समझने के लिए, जो भारत और अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच के करारों के निबंधनों के अनुसार नहीं है, प्रारूप सं. 34च में और भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के निर्देश में अंतर्विष्ट मुद्दों के संबंध में आय-कर प्राधिकारियों या निर्धारिती या भारत में के उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से सुसंगत अभिलेखों और अतिरिक्त दस्तावेज की मांग करेगा या ऐसे प्राधिकारियों या निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि से विचार-विमर्श करेगा ।

(4) भारत में का सक्षम प्राधिकारी, चौबीस मास की औसत समयावधि के भीतर भारत और अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के मध्य करार के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों की ऐसी कार्रवाइयों से उद्भूत कर विवादों के पारस्परिक सहमत संकल्प पर पहुंचने का प्रयास करेगा ।

(5) यदि भारत में के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण पारस्परिक करार प्रक्रिया का अवलंब लिया जाता है तो किसी पूर्व वर्ष में उपनियम (4) के अधीन किया गया संकल्प, भारत में उक्त वर्ष की आय की विवरणी में उसके द्वारा यथाघोषित निर्धारिती की, यथास्थिति, आय को घटाने या हानि को बढ़ाने में परिणाम नहीं होगी ।

(6) यदि भारत में का सक्षम प्राधिकारी और उस अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच उपनियम (4) के अधीन कोई संकल्प किया जाता है तो निर्धारिती को उसकी लिखित में संसूचना दी जाएगी ।

(7) निर्धारिती, उपनियम (6) के अधीन संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर भारत में के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में संकल्प को स्वीकृत या स्वीकृत करने की संसूचना दी जाएगी ।

(8) संकल्प की निर्धारिती की स्वीकृति के साथ, उन मुद्दों पर, उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प की विषय-वस्तु थे, लंबित अपील, यदि कोई हों, को वापस लेने का सबूत संलग्न होगा ।

(9) उपनियम (7) के अधीन स्वीकृति की प्राप्ति पर, यथास्थिति, ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महा निदेशक या महानिदेशक को, भारत में का सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प और उपनियम (8) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपील यदि कोई है, को वापस लेने के सबूत के साथ निर्धारिती द्वारा दी गई स्वीकृति को संसूचित करेगा, जो उसे निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(10) निर्धारण अधिकारी, उपनियम (9) के अधीन संसूचना प्राप्त होने पर उस मास के अंत से एक मास के भीतर, जिसमें उसे संसूचना प्राप्त हुई थी, लिखित आदेश द्वारा उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प को प्रभावी करेगा और निर्धारिती को उसके द्वारा अवधारित संदेय कर, यदि कोई हों, के बारे में सूचित करेगा ।

(11) निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उपनियम (10) के अधीन यथा अवधारित कर का संदाय करेगा और निर्धारण अधिकारी को कर के संदाय का सबूत देगा जो उपनियम (4) के अधीन संकल्प की विषय-वस्तु से संबंधित उस लंबित अपील, यदि कोई हों, को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेगा, जो निर्धारण अधिकारी या प्रधान आयुक्त या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा फाइल की गई थी और जो उस समय तक लंबित है ।

(12) उपनियम (10) के अधीन आदेश की प्रति, भारत में सक्षम प्राधिकारी को तथा निर्धारिती को भेजी जाएगी ।

(13) पहले ही अवधारित कर, ब्याज या शास्ति की रकम उपनियम (4) के अधीन परिनिर्धारित संकल्प और अधिनियम, के अधीन उपबंधित रीति में या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस सीमा तक समायोजित की जाएगी कि ऐसी रीति परिनिर्धारित संकल्प के प्रतिकूल न हो ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "भारत में सक्षम प्राधिकारी" से इस हैसियत में कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत होगा ।"

www.abcaus.in

(ii) नियम 44ज का लोप किया जाएगा।

(iii) परिशिष्ट II में, प्ररुप 34च के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररुप 34 च

[नियम 44छ देखिए]

भारत में निवासी किसी निर्धारिती के लिए आवेदन का प्ररुप, जो अन्य देशों या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों के साथ करारों में उपबंधित पारस्परिक करार प्रक्रिया (एम ए पी) का अवलंब लेना चाहता है ।

सेवा में,

भारत में सक्षम प्राधिकारी,

विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

राजस्व विभाग,

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली ।

महोदया/महोदय

आवेदक ....(देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम) के कर प्राधिकारी की कार्रवाई से नीचे दिए गए कारणों से व्यथित है; अतः इस मामले पर भारत और .... (देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम) के बीच ....(करार विनिर्दिष्ट करें) के अनुच्छेद...................के अधीन ....(देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम) के सक्षम प्राधिकारी के साथ बातचीत की जाए । इस संबंध में सुसंगत ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(क) आवेदक का नाम --

(ख) स्थायी लेखा संख्या/आधार --

(ग) सर्किल /वार्ड --

(घ) निर्धारण वर्ष --

(ङ) पूर्ववर्ती वर्ष --

(च) कार्यालय पता और दूरभाष संख्या --

(छ) निवास का पता और दूरभाष सं. (यदि लागू हो) --

(ज) प्रास्थिति --

(झ) अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र (संधि भागीदार) में कर प्राधिकारी का नाम और पदनाम --

(ञ) कार्रवाई को उद्भूत करने वाली सूचना या आदेश की तारीख --

(ट) क्या संधि भागीदार के आय-कर प्राधिकारी का आदेश/ कार्रवाई करार के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो उसके कारण बताएं – (यदि अपेक्षित हो, तो पृथक शीट लगाएं)

www.abcaus.in

(ठ) दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यदि कोई हों, अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में चाहे गए उपचार के ब्यौरे ।

2. हमारे दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं :-

(1) कार्रवाई को उद्भूत करने वाली सूचना या आदेश की प्रति

(2) (ट) के संबंध में उपबंधित विस्तृत कारण, यदि कोई हों,

(3) (ठ) के संबंध में दस्तावेज, यदि कोई हों

(4) (कोई अन्य दस्तावेज)

सत्यापन

1. मैं..........................पुत्र//पुत्री/पत्नी श्री...सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन तथा इसके साथ संलग्न उपबंधों और विवरणों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और उसमें दर्शित विशिष्टियां सत्य कथित हैं तथा निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) से संबंधित है ।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, मैनें कोई तथ्य या सूचना नहीं छिपाई है जो मेरे आवेदन का विनिश्चय करने के लिए सुसंगत हो सके ।

3. मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन ....(पदनाम) की हैसियत से कर रहा हूं और मैं स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) /आधार धारण कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने तथा सत्यापित करने में सक्षम हूं ।

तारीख ....

स्थान ....

(हस्ताक्षर) ”

[अधिसूचना सं. 23 /2020/फा.सं. 370142/31/2019-टी पी एल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं......159(अ). तारीख 5 मार्च, 2020 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (8^{th} Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules),–

(i) for rule 44G, the following rule shall be substituted, namely: –

“44G. Application seeking to give effect to the terms of any agreement under clause (h) of sub-section (2) of section 295 and the procedure for giving effect to the decision under the Agreement. - (1) Where an assessee, being a resident of

www.abcaus.in

India, is aggrieved by any action of the tax authorities of any country or specified territory outside India for the reason that, according to him, such action is not in accordance with the terms of agreement with such other country or specified territory, he may make an application to the Competent Authority in India seeking to invoke the mutual agreement procedure, if provided in such agreement, in Form No. 34F.

(2) Where a reference has been received from the competent authority of any country or specified territory outside India under any agreement with that country or specified territory with regard to any action taken by any income-tax authority in India or by the tax authorities of such country or specified territory, the Competent Authority in India shall convey his acceptance or otherwise for taking up the reference under mutual agreement procedure to the competent authority of the other country or specified territory.

(3) The Competent Authority in India shall, with regard to the issues contained in Form No. 34F or in the reference from the competent authority of a country or specified territory outside India, call for the relevant records and additional document from the income-tax authorities or the assessee or his authorised representative in India, or have a discussion with such authorities or assessee or representative, to understand the actions taken by the income-tax authorities in India or outside that are not in accordance with the terms of the agreements between India and the other country or specified territory.

(4) The Competent Authority in India shall endeavour to arrive at a mutually agreeable resolution of the tax disputes, arising from such actions of the income-tax authorities, in accordance with the agreement between India and the other country or specified territory within an average time period of twenty-four months.

(5) In case the mutual agreement procedure is invoked on account of action taken by any income-tax authority in India, the resolution arrived at under sub-rule (4) in a previous year shall not result in decreasing the income or increasing the loss, as the case may be, of the assessee in India, as declared by him in the return of income of the said year.

(6) If a resolution is arrived at under sub-rule (4) between the Competent Authority in India and that of the other country or specified territory, the same shall be communicated in writing to the assessee.

(7) The assessee shall communicate his acceptance or non-acceptance of the resolution in writing to the Competent Authority in India within thirty days of receipt of the communication under sub-rule (6).

(8) The assessee's acceptance of the resolution shall be accompanied by proof of withdrawal of appeal, if any, pending on the issues that were the subject matter of the resolution arrived at under sub-rule (4).

(9) On receipt of acceptance under sub-rule (7), the Competent Authority in India shall communicate the resolution arrived at under sub-rule (4) and the acceptance by the assessee alongwith proof of withdrawal of appeal, if any, submitted by the assessee under sub-rule (8), to the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or Director General, as the case may be, who in turn shall forward it to the Assessing Officer.

(10) On receipt of communication under sub-rule (9), the Assessing Officer shall give effect to the resolution arrived at under sub-rule (4), by an order in writing, within one month from the end of the month in which the communication was received by him and intimate the assessee about the tax payable determined by him, if any.

(11) The assessee shall pay the tax as determined under sub-rule (10) within the time allowed by the Assessing Officer and shall submit the proof of payment of taxes to the Assessing officer who shall then proceed to withdraw the pending appeal, if any, pertaining to subject matter of the resolution under sub-rule (4), which were filed by the Assessing Officer or the Principal Commissioner or Commissioner or any other income-tax authority.

(12) A copy of the order under sub-rule (10), shall be sent to the Competent Authority in India and to the assessee.

(13) The amount of tax, interest or penalty already determined shall be adjusted in accordance with the resolution arrived at under sub-rule (4) and in the manner provided under the Act or the rules made thereunder to the extent that such manner is not contrary to the resolution arrived at.

Explanation. – For the purposes of this rule, the "Competent Authority in India'' shall mean an officer authorised by the Central Government for the purposes of discharging the functions as such.";

(ii) rule 44H shall be omitted;

(iii) in Appendix II, for Form No. 34F, the following Form shall be substituted, namely: –

www.abcaus.in

"FORM NO. 34F

[See rule 44-G]

Form of application for an assessee, resident in India, seeking to invoke mutual agreement procedure provided for in agreements with other countries or specified territories

To

The Competent Authority in India

Foreign Tax and Tax Research Division,

Central Board of Direct Taxes,

Department of Revenue,

Ministry of Finance,

New Delhi

Madam/Sir,

Whereas the applicant is aggrieved by the action of the tax authority of -- (name of the country or specified territory) for the reasons given hereunder. The matter may kindly be taken up with the Competent Authority of -- (name of the country or specified territory) under Article -------------- of the --- (specify the agreement) between India and --------------------------------------- (name of the country or specified territory). The relevant details in this regard are as under:

(a) Name of the Applicant -

(b) Permanent Account No. /Aadhar -

(c) Circle /Ward -

(d) Assessment Year(s) -

(e) Previous Year(s) -

(f) Office Address & Telephone No. -

(g) Residential Address & Telephone No. (If applicable) -

(h) Status -

(i) Name and Designation of Tax Authority in the other country or specified territory (Treaty Partner) -

(j) Date of the notice or order giving rise to the action -

(k) Is the order/action of the Tax Authority of the Treaty Partner not in accordance with the agreement? If so, the reasons thereof -

(complete details may be provided in a separate sheet, if required)

(l) Details of remedy sought in the other country or specified territory, if any, with documentary evidence -

2. The following documents in support of the claim are enclosed: —

(I) Copy of notice or order giving rise to action

(II) Detailed reasons provided in respect of (k), if any

(III) Documents in respect of (l), if any

(IV) (Any other document)

Verification

I, _______________, son/daughter/wife of Shri ____________, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this application and the annexures and statements accompanying it is correct and complete and particulars shown therein are truly stated and relate to the previous year(s) relevant to the assessment year.

2. I also declare that to the best of my knowledge; I have not concealed any fact or information which could be relevant for deciding my application.

www.abcaus.in

3. I further declare that I am making this application in my capacity as.............. (designation) and that I am holding PAN/ Aadhar _____ and I am competent to make this application and verify it.

Date ------------------

Place ---

(Signature)"

[Notification No. 23/2020/F.No. 370142/31/2019-TPL]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R No.159(E) dated the 5th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.